उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-2

संख्या-2705/14-2-15-4(7)/2015

लखनऊ, दिनांक, 05 फरवरी, 2016

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा(1)के खण्ड(ग)के अधीन राज्यपाल अग्रतर, डिप्टी कलेक्टर अकबरपुर जिला कानपुर देहात को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कानपुर देहात	रसूलाबाद	रसूलाबाद	कैलई	**ब्लाक संख्या-1**		
					101 112 113 114 120 202	2.644 2.254 1.844 1.844 2.644 0.820	पूरब- गाटा सं0-201 205 204 203 119 118 117 116 115 110 111 104 198 100 ग्राम कैलई दक्षिण- गाटा सं0-75 76 82 ग्राम कैलई पश्चिम- गाटा सं0-42 53 74 ग्राम कैलई उत्तर- गाटा सं0-123 122 121 20 21 22 23 ग्राम कैलई
				योग	**6 किता**	**12.050**	
					ब्लाक संख्या—2		
					435 436	2.459 0.205	पूरब- गाटा सं0-1067 1068 1069 1070 ग्राम कैलई दक्षिण- गाटा सं0-1071 433 ग्राम कैलई व जैतपुर शिवली ग्राम की सीमा। पश्चिम- गाटा सं0-426 ग्राम कैलई उत्तर- गाटा सं0-441 440 438 437 1063 ग्राम कैलई
				योग	**2 किता**	2.664	
				कुल योग	**8 किता**	**14.714**	

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in